संख्या– 231 / 59–2–2013–49(खा) / 2006

प्रेषक,

हरिराज किशोर
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्यालय–मु०का०अ०
डायरी संख्या 912
दिनाँक 10/5/13

उप मु० ना० अ० (प्रचार)
09-5-013
मु० ना० अ०

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 06 मई, 2013

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 में पुरस्कार योजनान्तर्गत अनुदान संख्या–5 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खादी बोर्ड के पत्रांक 01 / खा0ग्रा0बो0 / प्रचारप्रसार / 2013–14 दिनांक 02.04.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1960 (यथा संशोधित) की धारा–28(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में पुरस्कार योजना के लिए आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु0 5.00 लाख (रुपये पॉच लाख मात्र) को निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उ0प्र0 लखनऊ के निर्वतन पर रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित मण्डलायुक्त व विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित कमेटी पुरस्कार दिये जाने हेतु उद्यमियों का चयन करेगी।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि पुरस्कार हेतु उद्यमियों / संस्था / समिति के चयन होने की सूचना विशेष सचिव, वित्त को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही व्यय की जायेगी।

4. प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–640 / दस–2013–231 / 2013, दिनांक 28.03.2013 में दिये गये निर्देशों व शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच.के अनुसार किया जाना आवश्यक है। उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0–8 में वित्त विभाग को धनराशि उपयोग किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराये जायेगें।

6. उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को या उनके द्वारा मनोनीत अन्य किसी अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कन्ट्रोलर एवं आडिट जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिटर के लिए भी उपलब्ध रहेगा।

7. प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–05 के लेखा शीर्षक "2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनेत्तर–105–खादी ग्रामोद्योग–09–पुरस्कार योजना–42–अन्य व्यय" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी–1–640/दस–2013–231/2013 दिनांक 28.03.2013 में की गयी व्यवस्थानुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव

संख्या : 231 (1)/59–2–2013/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थाानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव